**Writer**

***Ranjeet Verma***

Advocate High Court, Allahabad

Uttar Pradesh, India

And

Career Counselling Coach

Digital Entrepreneur Coach

Contact No. +919838476923

Email – ranjeetdigitalseva622@gmail.com

ranjeetverma656@gmail.com

Website – https://www.ranjeetdigitalseva.com

# ***दरिंदगी***

दोस्तों

आप सबका बहुत बहुत स्वागत है -

यह पुस्तक भारतीय समाज में प्रचलित कुछ बुराइयों पर प्रकाश डालती है। समाज में अच्छाई और बुराई दोनों विद्यमान है आप का समाज को देखने का नजरिया क्या है यह पूर्णतः आप पर निर्भर करता है। समाज के बारे में आप क्या सोचते है ? आपकी सामाजिक दृष्टिकोण क्या है ? समाज में किस प्रकार के लोग रहते है ? भारतीय समाज एक अलग ही किस्म का समाज है जहाँ पर अच्छे और बुरे दोनो लोग रहते है। आवश्यकता है उनको पहचानना। आधुनिक युग में यह जरूरी हो गया है कि आपको अच्छे और बुरे की पहचान हो अन्यथा आप कभी भी किसी भी घटना का शिकार हो सकते है।

भारतीय समाज तीन स्तरों में बंटा हुआ है –

1- उच्च स्तर

उच्च स्तर में भारत की लगभग 30 % जनसंख्या आती है जिनके पास आय के पर्याप्त साधन है और अपना और अपने परिवार को सुरक्षित रख पाते है। ऐसे लोगो का आय के साधनो पर पर्याप्त पकड़ होती है और इनका भारत की अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान होता है या ऐसे व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से प्रशासन पर अच्छी खासी पकड़ रखते है। चाहे वह राजनेता हो या अन्य कोई ब्यूरोक्रेट या फिर समाज सुधारक।

2- मध्य स्तर

मध्य स्तर में भारत की लगभग 50 % जनसंख्या आती है जिनके पास आय के साधन तो है लेकिन बहुत ही सीमित

मात्रा में है। ऐसे लोग अपने परिवार को किसी प्रकार से चला रहे होते है उनके पास पैसा और साधन दोनों सीमित है। ऐसे लोगो का समाज में पकड़ तो काफी अच्छी होती है परन्तु इस पकड़ का प्रभाव बहुत ही कम होता है। जैसे किसी राजनेता या ब्यूरोक्रेट की पकड़ होती है उस तरीके से नहीं होती है। जिम्मेदारियों का बोझ हमेशा डर का माहौल पैदा करता है ऐसे लोग समाज में बहुत सुरक्षित नहीं महसूस करते है।

3- निम्न स्तर

निम्न स्तर में भारत की लगभग 20 % जनसंख्या आती है जिनके पास आय के साधन ही नहीं है। ऐसे लोग दूसरो के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर होते है। सामाजिक गतिविधि में इनका योगदान नहीं होता है हाँ ये लोग जरूर मजदूरी कर दूसरों को सेवाए प्रदान करते है। इन लोगो का मुख्य पेशा मजदूरी होता है इसमें आते है खेती करने वाले , पेंटर , राजमिस्त्री , बढ़ई आदि। यह समाज का सबसे असुरक्षित वर्ग है। और यही समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा भी है। अक्सर यह देखा गया है कि किसी भी अपराध में ऐसे लोगो की संलिप्तता अधिक पायी जाती है। भारत सरकार के आकड़ो में भी यही चीज दर्शित होती है। इस बात की पुष्टि भी निर्भया काण्ड से हो भी जाता है जिसमे कोई ड्राइवर था तो कोई खलासी और कुछ साधारण लोग। कुल मिलाकर हमें ऐसे समाज पर फोकस करना है और उनका सुधार करना है जो इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त है। यदि भारतीय समाज इन सबके बारे में नहीं चेता तो एक समाज दूसरे समाज के लिए खतरा बन जाएगा और निर्भया जैसे न जाने कितने कांड कर डालेगा। अतः पूरे भारतीय समाज को इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्हें सुधारने की जरूरत है , नई दिशा देने की जरूरत है।

भारतीय समाज में सबसे बड़ी जो समस्या है वह है महिलाओ की सुरक्षा। वर्तमान समय में समाज इतना प्रगति कर गया है किन्तु महिलाओ के प्रति लोगो की सोच में बदलाहट बहुत ही कम महसूस

की जाती है। यद्यपि महिलाए को हर क्षेत्र में कदम रखने की आज़ादी है परन्तु क्या यह आज़ादी वास्तविक मायनो में है या नहीं , यही हम इस पुस्तक के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे।

आइये अब हम कुछ घटनाओ का जिक्र यहाँ करते है –

सबसे पहली बड़ी घटना है निर्भया काण्ड दिल्ली की , इस काण्ड में कुछ दरिंदगो ने एक नाबालिग लड़की का पहले रेप किया उसके बाद उसकी हत्या और यह सब सरे आम दिल्ली जैसी राजधानी नगरी में हुआ। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। आइए जानते है इस घटना के बारे में विस्तार से –

16 दिसंबर 2012 को कड़ाके की ठंड भरी रात में दिल्ली की सड़क पर जो हुआ, उसने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया। दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 को एक पैरा मेडिकल की छात्रा अपने दोस्त के साथ मूवी देखकर घर लौट रही थी।

दिल्ली के मुनिरका बस स्टैंड पर दोनों एक बस चढ़े। उस बस में पहले से ड्राइवर सहित छह लोग मौजूद थे। इसके बाद बस दूसरे रूट पर चलने लगी और बस में मौजूद लोगों ने बस के दरवाजे बंद कर लिए। कुछ गलत होने की आशंका पर लड़की के दोस्त ने आपत्ति जताई तो बस में मौजूद लोगों ने उसके साथ मारपीट की और रॉड हमला करके अधमरा कर दिया।

दिल्ली की सड़कों पर बस चलती रही और लड़की को बस में पीछे की तरफ ले जाकर बारी-बारी से लोगों ने दुष्कर्म किया। जब उसने विरोध किया तो उनमें से एक ने लड़की (निर्भया कांड) के प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड डाल दी। इससे उसकी आंते फट गईं। इस हैवानियत के बाद दोनों को बस से सड़क किनारे फेंक दिया गया।

दरिंदों ने निर्भया के साथ किस हद तक हैवानियत की थी, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दुष्कर्मी उसके कपड़े उतार कर ले गए। बाद में इन्हीं कपड़ों से बस भी साफ की। फिर कपड़ों को जला दिया। इतना ही नहीं, दोषी निर्भया और उसके दोस्त का सारा सामान भी लूट ले गए थे। कुछ सामान बिहार के औरंगाबाद

से मिला तो कुछ राजस्थान के करौली के गांव से। इसके अलावा दुष्कर्मी दिल्ली की जिस झुग्गी में रहते थे, उस रविदास कैंप से भी कई चीजें पुलिस ने बरामद की थीं।

**किसी ने फोन रखा तो किसी ने जूते-घड़ी** 2012 की 16 दिसंबर की जिस रात को निर्भया के साथ दुष्कर्मियों ने दरिंदगी की थी। उसी रात उन्होंने एक और व्यक्ति (राम आधार) से भी लूटपाट की थी। सभी 6 दोषी उस रात जमकर नशे में थे। रात करीब 9 बजे के बाद मुनीरका बस स्टैंड से निर्भया और उसके दोस्त जैसे ही बस में चढ़े, वैसे ही इन दोषियों ने उनके साथ बदतमीजी शुरू कर दी थी। एक ने पहले निर्भया के दोस्त को थप्पड़ लगाया। एक ने निर्भया को पकड़ा। फिर बारी-बारी से सबने निर्भया के साथ गैंगरेप किया। दोषियों ने उनसे सारा सामान छीन लिया। उनके कपड़े उतार लिए। गैंगरेप करने और लूटपाट करने के बाद दोषियों ने उन दोनों को बस से नीचे फेंक दिया। उसके बाद जितना भी सामान मिला था, सभी ने आपस में बांट लिया। दोषी अक्षय निर्भया के दोस्त की चांदी और सोने की अंगूठी लेकर बिहार चला गया। मुकेश सिंह निर्भया के दोस्त का स्मार्टफोन लेकर राजस्थान के करौली में अपने गांव निकल गया। मुख्य दोषी राम सिंह ने निर्भया की मां का डेबिट कार्ड रख लिया था, जबकि नाबालिग दुष्कर्मी ने 11 रुपए रख लिए थे।

**दोषियों के पास निर्भया और उसके दोस्त का क्या सामान मिला था?**

| दोषी | क्या सामान मिला | कहां से |
|---|---|---|
| राम सिंह | निर्भया की मां आशा देवी के नाम का डेबिट कार्ड। | रविदास कैंप, आरके पुरम, दिल्ली |

| | | |
|---|---|---|
| मुकेश सिंह | निर्भया के दोस्त का सैमसंग स्मार्टफोन। | करौली, राजस्थान |
| अक्षय ठाकुर | निर्भया के दोस्त की चांदी और सोने की अंगूठी। | औरंगाबाद, बिहार |
| विनय शर्मा | निर्भया के दोस्त के जूते। निर्भया का नोकिया मोबाइल फोन। | रविदास कैंप, आरके पुरम, दिल्ली |
| पवन गुप्ता | निर्भया के दोस्त की सोनाटा घड़ी और 1000 रुपए। | रविदास कैंप, आरके पुरम, दिल्ली |

**दुष्कर्मियों ने मोबाइल, डेबिट-क्रेडिट कार्ड, घड़ी, अंगूठी, जूते सब छीन लिए-** निर्भया के दोस्त ने गैंगरेप के तीन दिन बाद यानी 19 दिसंबर 2012 को दोपहर 3:30 बजे अपना बयान दर्ज कराया था। उसके मुताबिक, ''दुष्कर्मियों ने उसके पास से सैमसंग के दो स्मार्टफोन, वॉलेट (जिसमें 1000 रुपए थे), सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड, आईसीआईसीआई बैंक का डेबिट कार्ड, कंपनी आईडी कार्ड, दिल्ली मेट्रो का स्मार्ट कार्ड छीन लिया था। इसके साथ ही एक सोने और एक चांदी की अंगूठी, कपड़े और जूते भी छीन लिए थे। दुष्कर्मियों ने निर्भया का नोकिया मोबाइल और पर्स भी छीन लिया था। वे निर्भया और उसके दोस्त की घड़ी भी ले गए थे।''

जब एक राहगीर ने दोनों को देखा तो दिल्ली पुलिस को सूचना दी। इसके बाद लड़की को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया। लड़की की हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी, उसके पूरे शरीर में इंफेक्शन फैल गया और उसे एयरलिफ्ट करके सिंगापुर इलाज के लिए ले जाया गया, जहां पर वह जिंदगी औ मौत से जूझते हुए 29 दिसबंर 2012 की रात को दम तोड़ दिया।

भारत में दुष्कर्म से जुड़े कानून के चलते पीड़िता के नाम के उजागर करने की अनुमति नहीं, इसलिए, अलग-अलग मीडिया संस्थानों की ओर से उसे अलग-अलग नाम दिए। इनमें एक निर्भया नाम से पूरे कांड को जाना जाता है। 2013 में निर्भया  को मरणोपरांत अमेरिकी विदेश विभाग से अंतर्राष्ट्रीय साहस महिला पुरस्कार से सम्मानित किया था।

इस घटना के बाद देशभर में लोगों ने जबरदस्त विरोध-प्रदर्शन किया। गांव गांव से लेकर शहरों तक आम जन सड़को पर आ गया मानो पूरा देश जैसे आग की ज्वाला में जल रहा था और लोग पानी की तलाश में तड़प रहे हो। समाज में ऐसी बेचैनी पहले कभी नहीं देखी गयी थी। लोगो का गुस्सा जायज था राजधानी जैसी जगह पर जहाँ सारी सुविधाए है अगर ऐसी जघन्य घटना होती है तो समाज में असंतोष लाज़मी है। उस लड़की (निर्भया) को इंसाफ दिलाने के लिए देशभर के लोगों ने सड़कों पर उतरकर आवाज उठाई। पुलिस ने निर्भया कांड में बड़ी कार्रवाई करते हुए 17 दिसंबर 2012 को मुख्य आरोपी और बस चालक राम सिंह सहित चार लोगों को पकड़ा।

पकड़े गए आरोपियों में बस ड्राइवर राम सिंह, विनय गुप्ता, पवन गुप्ता, मुकेश सिंह, अक्षय ठाकुर और एक अन्य नाबालिग शामिल थे। बस ड्राइवर राम सिंह ने ट्रायल के दौरान तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली और नाबालिग को तीन साल की सजा हुई। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 20 मार्च 2020 को सुबह तड़के साढ़े पांच बजे निर्भया के चारों को दोषियों को फांसी दे दी गई।

इस घटना के बाद सरकार ने कानूनी सुधार और यौन हिंसा को कम करने के अन्य तरीकों की सिफारिश करने के लिए एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया। जस्टिस वर्मा समिति को 80,000 सिफ़ारिशें प्राप्त हुईं, व्यापक विचार-विमर्श किया गया और दुनिया भर के कानूनों और शोधों का हवाला दिया गया। इस घटना के बाद छेड़छाड़ और दूसरे तरीकों से यौन शोषण को भी दुष्कर्म में शामिल किया गया। संसद में नया जुवेनाइल जस्टिस बिल पास हुआ।

इस घटना से पहले भी कई घटनाए इस तरह की घट चुकी है परन्तु सामाजिक पहुंच और जागरूकता न होने के कारण उतना प्रदर्शन और विरोध नहीं हो सका। निर्भया काण्ड के बाद कुछ सवालों का मन में उत्पन्न होना लाज़मी है जैसे इस तरह के कृत्यों में कौन कौन से लोग शामिल होते है उन्हें पहचानने की जरूरत है , ऐसे लोग ऐसी घटनाओ को क्यों अंजाम देते है उसके पीछे कारण क्या है , क्या ऐसे लोगो को समाज और कानून का डर नहीं है या जो कानून प्रचलित है वे पर्याप्त नहीं है या फिर उनका क्रियान्वयन सही रूप से नहीं हो पा रहा है। समाज या देश में कुछ न कुछ तो कमी है जिसकी वजह से निर्भया जैसी घटनाए होती है।

## कौन थी निर्भया ?

ज्योति सिंह का जन्म दिल्ली में 10 मई 1990 को हुआ था, वे तीन बच्चों में सबसे बड़ी और निम्न-मध्यम वर्गीय परिवार की इकलौती बेटी थीं। उनके माता-पिता उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक छोटे से गाँव से थे। जहाँ ज्योति की माँ एक गृहिणी हैं, वहीं उनके पिता अपने परिवार का भरण-पोषण करने और अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में भेजने के लिए डबल शिफ्ट (दो नौकरियां) में काम करते थे। एक साक्षात्कार में, उन्होंने बताया कि एक युवा के रूप में, उन्होंने एक स्कूल शिक्षक बनने का सपना देखा था, लेकिन उनका परिवार हाई स्कूल से आगे की उनकी शिक्षा का खर्च नहीं उठा सकता था। दिल्ली आने के बाद, उन्होंने एक प्रेशर कुकर फैक्ट्री में, सुरक्षा गार्ड के रूप में और अंततः लगेज लोडर के रूप में काम किया। उन्होंने कहा, "जब मैंने 30 साल पहले [अपने गाँव] को छोड़ा था, तो मैंने अपने बच्चों को कभी भी स्कूल से वंचित नहीं करने की कसम खाई थी उन्होंने कहा, "हमारे दिल में कभी भेदभाव करने की बात नहीं आई। अगर मेरा बेटा खुश है और मेरी बेटी नहीं तो मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? और एक छोटी लड़की को मना करना असंभव था जिसे स्कूल जाना पसंद था।"

ज्योति सिंह ने देहरादून में साईं इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड एलाइड साइंसेज से फिजियोथेरेपी में स्नातक किया, और उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफन अस्पताल में इंटर्न के पद के लिए आवेदन किया था । वह दिल्ली में रहती थी और कभी-कभी ही अपने परिवार के पैतृक गाँव जाती थी।

भारतीय कानून के अनुपालन में, पीड़िता का असली नाम शुरू में मीडिया को जारी नहीं किया गया था, इसलिए उसके लिए विभिन्न मीडिया घरानों द्वारा छद्म नामों का इस्तेमाल किया गया, जिनमें *जागृति* (जागरूकता), *अमानत* (खजाना), *निर्भया* (निडर), *दामिनी* (बिजली, 1993 की हिंदी हिट फिल्म के बाद ) और *दिल्ली बहादुर* शामिल हैं ।

पुरुष पीड़ित, अविंदर प्रताप पांडे, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, जो बेर सराय, नई दिल्ली में रहते हैं; उनके अंग टूट गए लेकिन वे बच गए।

दिल्ली पुलिस ने महिला पीड़िता की पहचान उजागर करने के लिए दिल्ली स्थित टैब्लॉयड *मेल टुडे* के संपादक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया , क्योंकि ऐसा खुलासा भारतीय दंड संहिता_ की धारा 228 (ए) के तहत अपराध है । तत्कालीन केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने सुझाव दिया कि यदि माता-पिता को कोई आपत्ति नहीं है, तो उसकी पहचान सार्वजनिक की जा सकती है, ताकि भविष्य के कानूनों का नाम उसके नाम पर रखकर उसकी साहसी प्रतिक्रिया के प्रति सम्मान दिखाया जा सके। 5 जनवरी को एक ब्रिटिश प्रेस रिपोर्टर से बात करते हुए, पीड़िता के पिता को यह कहते हुए उद्धृत किया गया, "हम चाहते हैं कि दुनिया उसका असली नाम जाने। मेरी बेटी ने कुछ भी गलत नहीं किया, वह खुद को बचाते हुए मर गई। मुझे उस पर गर्व है। उसका नाम उजागर करने से अन्य महिलाओं को हिम्मत मिलेगी जो इन हमलों से बच गई हैं। उन्हें मेरी बेटी से ताकत मिलेगी।" भारतीय कानून बलात्कार पीड़िता का नाम उजागर

करने से मना करता है जब तक कि परिवार इसके लिए सहमत न हो और, पिता के कथित उद्धरण और पीड़िता के नाम को प्रकाशित करने वाले समाचार लेख के बाद, भारत, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ समाचार आउटलेट ने भी उसका नाम उजागर किया। हालांकि, अगले दिन ज़ी न्यूज़ ने पिता के हवाले से कहा, "मैंने केवल इतना कहा है कि अगर सरकार महिलाओं के खिलाफ अपराध के लिए एक नए कानून के लिए मेरी बेटी के नाम का उपयोग करती है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, जो मौजूदा कानून से अधिक कठोर और बेहतर ढंग से तैयार किया गया हो।" 16 दिसंबर 2015 को किशोर अपराधी की रिहाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान, पीड़िता की माँ ने कहा कि पीड़िता का नाम ज्योति सिंह था और उसे अपना नाम बताने में कोई शर्म नहीं है।

## निर्भया केस से 9 महीने पहले हुई थी ऐसी ही वारदात

बता दें कि निर्भया दुष्कर्म कांड (16 दिसंबर, 2012) से लगभग दस माह पहले भी दिल दहलाने वाली वारदात हुई थी। कार सवार तीन युवकों ने छावला की रहने वाली 19 वर्षीय युवती को अगवा कर चलती कार में उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म के दौरान दरिंदगी की थी। उस घटना ने भी देश को शर्मसार कर दिया था। बताया जा रहा है कि दिल्ली के छावला से हरियाणा के रेवाड़ी के बीच तकरीबन 70 किलोमीटर तक युवती के साथ दरिंदगी की गई।

घटनाक्रम के मुताबिक, 9 फरवरी, 2012 को जब बेटी काफी देर तक घर नहीं पहुंची तो गुमशुदा बेटी के पिता मदद के लिए पुलिस के पास पहुंचे थे। पुलिस वालों ने उन्हें कहा था कि युवती को ढूंढ़ने के लिए उनके पास वाहन नहीं हैं। पुलिस की हीलाहवाली के कारण तब तक आरोपित, पीड़िता को लेकर हरियाणा की सीमा में प्रवेश कर चुके थे। उसके बाद युवकों ने चलती कार में पीड़िता से बदसलूकी शुरू कर दी थी।

## कार के भीतर पीड़िता को दांतों से काटा, सिगरेट से दागा

बताया जा रहा है कि रास्ते में आरोपितों ने एक ठेके से बीयर भी खरीदी थी। आरोपितों ने दुष्कर्म करने के साथ ही उसके शरीर पर कई जगह दांतों से भी काट लिया था और सिगरेट से जलाया भी था। इस दौरान पीड़िता कार के अंदर शोर मचाते हुए जान बचाने की गुहार लगाती रही, लेकिन शीशा बंद होने के कारण न तो किसी राहगीर को उसकी आवाज सुनाई दी, न ही आरोपितों का दिल पसीजा।

## हत्या से पहले फोड़ दी थी आंखें

बदहवास हालत में पीड़िता ने जब आरोपितों से पानी पीने की इच्छा जताई, तब उनके दिमाग में उसकी हत्या करने की बात आई। उन्होंने पहले पीड़िता के आंखें फोड़ीं। दर्द से कराहने पर आरोपितों ने उसे रास्ते में एक जगह पानी पिलाया और बाद में उसी घड़े से सिर पर वार कर उसे जख्मी भी कर दिया।

## प्राइवेट पार्ट को भी दिया गया था जला

इतने से भी दिल नहीं भरा, तो पेचकस को गाड़ी के साइलेंसर पर रखकर गर्म करने के बाद उससे भी उसे जलाया। दरिंदगी की हदें तो तब पार कर दी गईं, जब पीड़िता के प्राइवेट पार्ट को भी जला दिया और बीयर की बोतल तोड़कर उसके शरीर पर वार कर बुरी तरह घायल कर दिया।

बताया जाता है कि आरोपितों के पकड़े जाने पर उन्होंने कुबूल किया था कि उन्होंने पीड़िता पर कई वार किए थे। जब उन्होंने सुनिश्चित कर लिया कि उसकी मौत हो गई है, तब वे शव को रेवाड़ी में सुनसान जगह पर फेंककर भाग गए थे। घटना के पांच दिन बाद पुलिस ने रेवाड़ी से युवती का शव बरामद किया था।

## एकतरफा प्यार में किया था मर्डर !

पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो पता चला कि सभी आरोपित रवि, राहुल और विनोद हरियाणा के रहने वाले हैं। सभी ड्राइवर की नौकरी करते थे। रवि, पीड़िता से एकतरफा प्यार करता था। रवि की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने

अन्य आरोपितों का पता लगाकर उन्हें दबोचा था। दिल्ली पुलिस ने मामले को 'दुर्लभतम' बताते हुए दोषियों के लिए फांसी की मांग की थी।

छावला सामूहिक दुष्कर्म मामले (Chhawla Case) के तीनों आरोपितों की फांसी की सजा को निरस्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। इस पर पीड़ित परिवार ने निराशा जताई है। परिवार ने इंसाफ की लड़ाई जारी रखने की बात कही है।

## कोलकाता में डॉक्टर से हुई दरिंदगी

आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कोलकाता का नामी अस्पताल है. यहां सेमिनार हॉल में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिली थी. शरीर पर पूरे कपड़े नहीं थे. कई अंगों पर चोटों के निशान थे. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके साथ हुई हैवानियत का खुलासा हुआ है.

निर्भया के साथ जो हुआ, वो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है. इस घटना के एक दशक बीतने के बाद इंसानियत आज उसी तरह कटघरे में खड़ी है. इंसानों के बीच रह रहे एक हैवान ने अब पश्चिम बंगाल के सरकारी अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी की है. इसे एफएआईएमए (FEDERATION OF ALL INDIA MEDICAL ASSOCIATION) निर्भया-2 कह रहा है.

आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (RGKMCH) कोलकाता का नामी अस्पताल है. यहां सेमिनार हॉल में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिली थी. शरीर पर पूरे कपड़े नहीं थे. कई अंगों पर चोटों के निशान थे. आंखों और मुंह से खून निकल रहा था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके साथ हुई हैवानियत का खुलासा हुआ है.

## सुबह 3 बजे से सुबह 6 बजे के बीच हुई घटना!

इस घटना के कुछ घंटे के भीतर कोलकाता पुलिस ने एसआईटी का गठन किया. शुरुआती जांच में ही अस्पताल में अक्सर देखे जाने वाले संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया. अभी तक की जांच और पूछताछ के आधार पर माना जा

रहा है कि पीड़िता का शव मिलने से कुछ समय पहले उस पर हमला हुआ था. मतलब उसके साथ हैवानियत की ये घटना सुबह 3 बजे से सुबह 6 बजे के बीच हुई.

## आंखों और मुंह से निकल रहा था खून

पोस्टमार्टम जांच में पीड़िता के शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें पाई गईं. गला घोंटने, उसकी आंखों और मुंह से खून बहने की बात सामने आई है, जो कि रिपोर्ट से साबित भी हुई है. साथ ही रिपोर्ट से ये भी बात सामने आ रही है कि दरिंदे ने रेप करने से पहले उसकी हत्या कर दी थी.

हत्या और रेप करने के बाद संजय अपने घर गया था. घर जाते ही वो सो गया था. सबूत मिटाने के लिए अपने कपड़े धोए. जांच के दौरान पुलिस को उसके जूतों पर खून के धब्बे मिले है. इसके अलावा पुलिस को घटनास्थल से ईयरफोन का टूटा हुआ टुकड़ा भी मिला है. इसके साथ ही पुलिस को मिले उसके मोबाइल से सनसनीखेज खुलासे हुए हैं.

## अश्लील वीडियो देखने और शराब का आदी है आरोपी

पुलिस को पता चला है कि आरोपी शराब का आदी है. वो अश्लील वीडियो भी देखने का आदी है. ये वीडियो बहुत ही असामान्य तरीके हैं. जो कि उसकी विकृत मानसिकता के बारे में बताते हैं. उसने चार शादियां की हैं. इसमें से तीन पत्नियां छोड़कर चली गईं. एक पत्नी की मौत हो गई.

दिल को झकझोर देने वाली इस घटना के बाद डॉक्टरी के पेशे से जुड़े लोगों के साथ ही देशभर में आक्रोश फैला हुआ है. विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. आरोपी को सजा दिलाने के साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा का भी सवाल उठ रहा है. फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (FORDA) ने देश भर में वैकल्पिक स्वास्थ्य सेवाओं को बंद रखने का ऐलान किया है.

## वेटनरी डॉक्टर के साथ 2019 में हुआ था दुष्कर्म

हैदराबाद में नवंबर 2019 में 27 साल की एक वेटनरी डॉक्टर के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। इसके बाद उसकी हत्या कर दी

गई थी। डॉक्टर का शव शादनगर में एक पुल के नीचे जली हुई अवस्था में मिला था। इसके बाद हैदराबाद पुलिस ने चार आरोपियों - मोहम्मद आरिफ, चिंताकुंटा चेन्नाकेशवुलु, जोलू शिवा और जोलू नवीन को वेटनरी डॉक्टर के साथ सामूहिक दुष्कर्म के और हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। हैदराबाद के NH-44 पर इन चारों आरोपियों एनकाउंटर किया गया था। यह वही राजमार्ग था, जिसके पुल के नीचे 27 वर्षीय पशु चिकित्सक का जला हुआ शव मिला था। पुलिस ने दावा किया था कि 27 नवंबर, 2019 को महिला पशु चिकित्सक का अपहरण किया गया था। उसका यौन उत्पीड़न किया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी।

## मामले की शुरुआत से मुठभेड़ तक का पूरा घटनाक्रम

- **27 नवंबर 2019:** लेडी डाक्टर हाईवे पर बने टोल पर अपनी स्कूटी पार्क करके रोज की तरह अस्पताल जाती है। यह उसका रोज का कार्य था। कुछ दरिंदो में इस डॉक्टर पर अपनी नजर रखना शुरू कर दिया। घटना वाले दिन उस लेडी डॉक्टर ने अपनी स्कूटी पार्क की और बस द्वारा अस्पताल पहुँचती है। उस दिन उसे लौटने में थोड़ी देर हो जाती है। इधर दरिंदे अपनी ताक लगाए बैठे थे। डॉक्टर साहिबा इस प्लान से पूर्ण रूप से अनभिज्ञ थी। हल्का सा अँधेरा हो जाता है उसे टोल पर आते हुए। जैसे ही वह बस से उतरती है और अपनी पार्क की हुई स्कूटी के पास जाती है तो देखती है की स्कूटी के पिछले पहिये में हवा नहीं है। शाम हो ही गयी थी स्कूटी में हवा न होने से वह बहुत ही परेशान हो गयी। फिर उसने स्कूटी में पंचर मानकर उसे बनवाने की सोची और स्कूटी ले जाने लगी इस दौरान डॉक्टर की अपने घर पर और अपनी बड़ी बहन से बातचीत लगातार हो रही थी। उसकी बहन ने उसे जल्दी आने की बात कही। डॉक्टर ने भी आश्वासन दिया की वह जल्दी ही घर वापस आ जाएगी। दीदी तुम चिन्ता न करो। डॉक्टर साहिबा ने जैसे ही स्कूटी बनवाने के लिए ले जाने लगी तभी आते है सहायक के रूप में कुछ दरिंदे और डॉक्टर से कहते है की हम आपकी

स्कूटी बनवा देंगे आप चिन्ता न करे। डॉक्टर लेडी भी आश्वस्त हो जाती है की शायद उनकी मदद जो जाएगी मगर उनको भी क्या पता कि काल कैसे उनके सर पर मंडरा रहा है। ये मददगार थोड़ी दूर पर एक अच्छा पंचर बनाने वाला है ऐसा कहकर उसे काफी दूर लेकर चले जाते है जहाँ पर उनके ही गैंग के आदमी थे। लेडी डॉक्टर का वही से ये मददगार अपहरण कर लेते है और अपने मंतव्य को पूरा करने की तरफ आगे बढ़ने लगते है और कर देते है एक जघन्य अपराध , एक बेटी का रेप , छीन लेते है एक जिंदगी , छीन लेते एक प्यारी सी बहन , छीन लेते है एक बेटी को उसके बाप से , छीन लेते है एक डॉक्टर को , छीन लेते है एक माँ को। रक्षक के रूप में भक्षक आ गए। कैसी हिम्मत है इन दरिंदो की दया धर्म विश्वास करुणा फर्ज का दामन छोड़ अहिंसा के रास्ते पर चल दिए। घटना लगभग शाम 7 से 8 बजे के बीच की है जब डॉक्टर का फ़ोन बंद हो गया तो उसकी बहन ने तुरंत पुलिस को सूचना दिया परन्तु दुर्भाग्यवश पुलिस भी इन दरिंदो को पकड़ नहीं सकी। दरिंदे अपने मकसद में कामयाब हो जाते है। सरकारी अस्पताल में कार्यरत महिला पशु चिकित्सक के साथ चार आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया।

- **28 नवंबर 2019:** दूसरे दिन 25 वर्षीय महिला पशु चिकित्सक का अधजला शव शादनगर में एक पुल के नीचे मिला। शव मिलने के बाद इस जघन्य केस ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। पूरे देश में हाहाकार मच गया , लोग सड़को पर आ गए और प्रदर्शन करने लगे और निर्भया कांड की याद दिलाने लगे। इस घटना ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। पुलिस पर दबाव बढ़ता जा रहा था लेकिन कोई खास सफलता नहीं मिल रही थी फिर भी हार न मानकर पुलिस अपने कार्य में लगी रही और अंत में सफलता हाथ लगी। पुलिस ने सारे क्लू ढूढ निकाले और सबको गिरफ्तार कर लिया।

- **29 नवंबर 2019:** तेलंगाना पुलिस ने इस मामले की छानबीन के दौरान 20 से 24 साल के उम्र के चार लोगों को दुष्कर्म और हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। गिरफ़्तारी के बाद पुलिस ने इन सभी मुलजिमानो को अदालत में पेश किया क्योकि गिरफ्तारी से 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना अनिवार्य होता है।
- **29 नवंबर 2019:** कोर्ट ने आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने कहा कि इस घटना को साजिश के तहत अंजाम दिया गया। चारो मुल्जिमान काफी पहले से ही डॉक्टर की गतिविधि पर नजर बनाये हुए थे और एक अच्छा षड़यंत्र के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया। दरिंदे अपने षड़यंत्र में सफल रहे और एक जीवन लीला को समाप्त कर दिए। पीड़िता की मां ने सभी दोषियों को सबके सामने जिंदा जलाने की मांग की।
- **29 नवंबर :** शादनगर बार असोसिएशन ने ऐलान किया कि डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के आरोपियों को किसी भी तरह की कानूनी मदद नहीं दी जाएगी। हैदराबाद के वकीलों ने भी समर्थन दिया। हैदराबाद के वकीलों का यह कार्य वास्तव में बहुत ही साहसिक था। वकीलों ने न्याय का साथ दिया और सत्य और समाज की अच्छाई को स्थापित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया।
- **30 नवबंर 2019:** तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने तेजी से मुकदमा चलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालत के गठन की घोषणा की। राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों ने पीड़ित परिवारवालों से मुलाकात की।
- **एक दिसंबर 2019:** तेलंगाना पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) एम महेंद्र रेड्डी ने इस मामले में कोताही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की। साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने इस मामले में तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित किया।

- **दो दिसंबर 2019:** तेलंगाना के हैदराबाद में डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या का मामले की गूंज संसद में भी सुनाई दी।
- **तीन दिसंबर 2019:** दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कड़े कानून की मांग को लेकर दिल्ली में अनशन शुरू किया।
- **तीन दिसंबर 2019:** चेरलापल्ली जेल में बंद चार आरोपियों में से एक चेन्नाकेशावुलू ने किडनी की बीमारी का इलाज मुहैया कराने की मांग की है।
- **चार दिसंबर 2019:** हैदराबाद में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई के लिए महबूबनगर जिला अदालत में जल्द एक विशेष कोर्ट के गठन का ऐलान। विशेष कोर्ट का गठन इसलिए किया गया कि मामले का निस्तारण बिना किसी देरी के जल्दी से पूरा हो जाय और अपराधियों को दण्ड दिलाया जा सके। सरकार का यह प्रयास कबीले तारीफ है परन्तु इसके पहले ही पुलिस वालो ने ही सारा काम निपटा दिया।
- **छह दिसंबर 2019:** किसी भी घटना के बाद पुलिस द्वारा उसका अन्वेषण किया जाता है कि मामला क्या है कैसे घटना घटित हुई घटना कहाँ और किन परिस्थितियों में हुई इसमें कौन कौन लोग सम्मिलित थे। ये सभी काम दंड प्रक्रिया संहिता और पुलिस एक्ट द्वारा पुलिस को सौपे गए है। क्योकि पुलिस के पास सारी सुविधाए होती है और वह इन सुविधाओं के माध्यम से इसका प्रयोग कर अपराधियों को पकड़ती है। पुलिस सभी को उस स्थान पर ले जाती है जहाँ पर ये लोग घटना को अंजाम दिए थे। पुलिस घटना के निरीक्षण कर रही थी और पूछताछ कर रही थी की इसी बीच अपराधी मौके का फायदा उठाकर भागने का प्रयास किये तभी पुलिस वालो ने भी सख्त कार्यवाही करते हुए सबको मार गिराया। केस के चारों आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। पुलिस ने बताया कि क्राइम सीन रीकंस्ट्रक्ट करने के दौरान आरोपियों ने पुलिस से हथियार छीनकर उन पर फायर किया। जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में चारो आरोपी ढेर हो गए।

## फूलन देवी का केस-

**फूलन देवी** (10 अगस्त 1963 - 25 जुलाई 2001), जिन्हें **बैंडिट क्वीन** के नाम से जाना जाता है , एक भारतीय डकैत (दस्यु) थीं, जो एक राजनीतिज्ञ बन गईं, अपनी हत्या होने तक वह □□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ की एक महिला थीं, जो उत्तर प्रदेश राज्य के एक गाँव में गरीबी में पली-बढ़ी थीं , जहाँ उनका परिवार एक भूमि विवाद में हार गया था, जिससे उन्हें कई समस्याएँ हुईं। ग्यारह वर्ष की आयु में विवाह कर दिए जाने और विभिन्न लोगों द्वारा यौन शोषण किए जाने के बाद , वह डकैतों के एक गिरोह में शामिल हो गईं। उनके गिरोह ने उच्च जाति के गाँवों को लूटा और रेलगाड़ियों और वाहनों को रोक लिया। जब उन्होंने अपने बलात्कारियों को दंडित किया और अधिकारियों द्वारा पकड़ से बच निकलीं, तो वह अन्य पिछड़ा वर्ग की नायिका बन गईं , फूलन देवी पर 1981 के बेहमई नरसंहार के लिए *उनकी अनुपस्थिति में* आरोप लगाया गया था , जिसमें कथित तौर पर उनके आदेश पर बीस ठाकुर लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग तेज हो गई। उन्होंने दो साल बाद सावधानीपूर्वक बातचीत के बाद आत्मसमर्पण कर दिया और मुकदमे की प्रतीक्षा में ग्वालियर जेल में ग्यारह साल बिताए।
फूलन देवी को 1994 में उनके आरोपों को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद वह एक राजनीतिज्ञ बन गईं और 1996 में समाजवादी पार्टी के लिए संसद सदस्य के रूप में चुनी गईं । उन्होंने 1998 में अपनी सीट खो दी, लेकिन अगले वर्ष इसे फिर से हासिल कर लिया। 2001 में अपनी मृत्यु के समय वह निवर्तमान थीं। उनकी हत्या उनके घर के बाहर शेर सिंह राणा ने की थी , जिसे 2014 में हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। अपनी मृत्यु के समय, वह अभी भी पुनः लगाए गए आपराधिक आरोपों के खिलाफ लड़ रही थीं, उन्होंने 1996 में सुप्रीम कोर्ट में आरोप खारिज करने की अपील खो दी थी। 1994 की विवादास्पद फिल्म *बैंडिट क्वीन की रिलीज के बाद फूलन देवी* की दुनिया भर में ख्याति बढ़ी , जिसमें उनके जीवन की कहानी उस तरीके

से बताई गई, जो उन्हें मंजूर नहीं थी। उनके जीवन ने कई जीवनियों को भी प्रेरित किया है।

## प्रारंभिक जीवन

फूलन देवी का जन्म 10 अगस्त 1963 को भारत के उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के गोरहा का पुरवा गाँव में हुआ था । यह भूमि यमुना और चंबल नदियों द्वारा पार की गई है और घाटियों और खड्डों से भरी हुई है, जो इसे डकैतों (डाकुओं) के लिए उपयुक्त इलाका बनाती है। उनका परिवार गरीब था और मल्लाह उपजाति से था, जो भारत में हिंदू जाति व्यवस्था के निचले स्तर पर है , मल्लाह शूद्र होते हैं जो पारंपरिक रूप से मछुआरों के रूप में काम करते हैं। फूलन देवी और उनकी बहनें ईंधन के रूप में जलाने के लिए गोबर के उपले बनाती थीं ,

उत्तर प्रदेश में गोबर के उपलों का उत्पादन ; गोबर के उपले इस क्षेत्र में एक आम ईंधन स्रोत हैं। जैसा कि इस क्षेत्र में आम प्रथा है; उनका परिवार छोले , सूरजमुखी और मोती बाजरा उगाता था ।

फूलन देवी की मां का नाम मूला और पिता का नाम देवीदीन था; उनकी चार बहनें और एक भाई था। देवीदीन का एक भाई बिहारीलाल था, जिसका एक बेटा था जिसका नाम मैयादीन था। बिहारीलाल और मैयादीन ने जमीन के रिकॉर्ड बदलवाने के लिए गांव के नेता को रिश्वत देकर फूलन देवी के पिता से जमीन चुरा ली। उसके परिवार को गांव के किनारे एक छोटे से घर में रहने के लिए मजबूर किया गया; चाचा और उनके बेटे ने परिवार को परेशान करना और उनकी फसलें चुराना जारी रखा, जिसका उद्देश्य उन्हें गांव से भगाना था। 10 वर्ष की आयु में फूलन देवी ने अन्याय के खिलाफ विरोध करने का फैसला किया। वह अपनी बड़ी बहन रुखमिणी के साथ विवादित जमीन

पर बैठ गईं और वहां उगे चने खाए, यह कहते हुए कि फसल उनके परिवार की है। मैयादीन ने उन्हें वहां से चले जाने का आदेश दिया और जब वह नहीं गईं, तो 2018 में, फूलन देवी की माँ ने *द एशियन एज को* बताया कि वह अभी भी उस ज़मीन को वापस पाने के लिए लड़ रही हैं जिसे मैयादीन ने परिवार से चुराया था।

इन घटनाओं के बाद, फूलन देवी के माता-पिता ने उसकी शादी की व्यवस्था करने का फैसला किया। उसकी शादी पुत्तीलाल नामक एक व्यक्ति से हुई, जिसने उसके माता-पिता को 100 भारतीय रुपये (2023 में ₹ 400 या £4.20 के बराबर ), एक गाय और एक साइकिल की पेशकश की। उनके द्वारा उनकी जीवनी लेखिका माला सेन को बताए गए संस्करण के अनुसार , यह सहमति हुई थी कि फूलन देवी तीन साल बाद उनके साथ रहना शुरू करेंगी, लेकिन पुत्तीलाल तीन महीने के भीतर वापस आ गया और उन्हें ले गया। वह उसकी उम्र से तीन गुना बड़ा था; उसने उसके यौन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया और बीमार पड़ गई। जब उसके माता-पिता आए और उसे ले गए, तो वे उसे एक डॉक्टर के पास ले गए, जिसने खसरे का निदान किया । एक पत्नी के लिए अपने पति को छोड़ना निंदनीय था परिवार अनपढ़ था और माता-पिता को चेतावनी दी गई थी कि इसमें एक खंड है जो मैयादीन को उनकी ज़मीन पर कानूनी अधिकार देता है, इसलिए उन्होंने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। फूलन देवी को तेओगा गाँव में एक दूर के रिश्तेदार के यहाँ रहने के लिए भेजा गया, जहाँ उसकी मुलाकात अपने हाल ही में विवाहित चचेरे भाई कैलाश से हुई, जो डकैतों (जिन्हें स्थानीय रूप से बागी भी कहा जाता है) के लिए काम करता था। वे करीब आ गए और उनके बीच प्रेम संबंध बन गए, जिसके परिणामस्वरूप फूलन देवी को कैलाश की पत्नी ने अपने गाँव वापस जाने का आदेश दिया।

एक बार जब फूलन देवी गोरहा का पुरवा में वापस आईं, तो गांव के नेता का दूसरा बेटा उनसे मोहित हो गया और जब उन्होंने उसके प्यार का जवाब नहीं दिया, तो उसने उन पर हमला कर दिया। फिर से फूलन देवी को गांव छोड़ने की जरूरत पड़ी और मैयादीन ने परिवार पर दबाव डाला कि वे पुत्तीलाल से उन्हें वापस लेने के लिए कहें, जो उसने किया। इस बीच, पुत्तीलाल ने दूसरी

पत्नी रख ली थी, जो अक्सर फूलन देवी के साथ बुरा व्यवहार करती थी। कई सालों के बाद, पुत्तीलाल ने फूलन देवी को यमुना नदी के किनारे छोड़ दिया और वह फिर से पैतृक घर लौट आईं। जनवरी 1979 में, मैयादीन ने परिवार की फसलों को नष्ट कर दिया और उनकी जमीन पर एक नीम के पेड़ को काटना शुरू कर दिया । बाद में उसने *अटलांटिक को* बताया कि उसे इसलिए गिरफ़्तार किया गया क्योंकि मैयादीन ने उस पर उसे लूटने का आरोप लगाया था। माला सेन ने उससे पूछा कि क्या उसके साथ पुलिस स्टेशन में बलात्कार हुआ था और फूलन देवी ने जवाब दिया: "उन्होंने मेरे खर्च पर खूब मौज-मस्ती की और मुझे बहुत पीटा भी।" सेन ने नोट किया कि यौन उत्पीड़न के पीड़ितों के लिए उनके साथ हुई घटना के बारे में बात करने से बचना या उसे दबाना आम बात है। सेन ने यह भी देखा कि 1970 के दशक के मध्य से, भारतीय नारीवादी समूहों ने पुरुषों द्वारा महिलाओं पर हमला करने और उनकी हत्या करने के कई मामले दर्ज किए। *महिला फीचर सेवा* की निदेशक ने फूलन देवी के मामले के बारे में टिप्पणी की कि "अक्सर बलात्कार का इस्तेमाल महिलाओं को उनके स्थान पर रखने के लिए नियंत्रण और सज़ा के तरीके के रूप में किया जाता है"।

**बैंडिट क्वीन-**

जुलाई 1979 में, बाबू गुज्जर के नेतृत्व में डाकुओं के एक गिरोह ने फूलन देवी को उनके परिवार के घर से अगवा कर लिया, जिसके कारण उन्होंने कई तरीकों से बताए। गुज्जर ने उसे अपनी संपत्ति के रूप में लिया और बार-बार उसके साथ बलात्कार किया। दूसरे नंबर का कमांडर विक्रम मल्लाह फूलन देवी का शौकीन हो गया और उसके साथ दुर्व्यवहार का विरोध किया, इसलिए उसने गुज्जर को मार डाला और गिरोह का नेता बन गया। उसने फूलन देवी को राइफल चलाना सिखाया और दोनों में प्यार हो गया। अगले वर्ष में, समूह ने वाहनों को लूटा और उच्च जाति के गाँवों को लूटा, कभी-कभी चोरी की गई पुलिस की वर्दी का उपयोग करके खुद को छिपाते थे । गिरोह बीहड़ों में रहता था- जैसे ही फूलन देवी के कारनामों की खबर फैली, वह निचली जातियों में लोकप्रिय हो गईं, जिन्होंने उन्हें दस्यु सुंदरी (सुंदर डाकू) कहा और उन्हें रॉबिन हुड के रूप में मनाया ,

जो गरीबों को देने के लिए अमीरों से लूट करती थी। उन्हें हिंदू देवी दुर्गा के अवतार के रूप में देखा गया और पुलिस की वर्दी में एक बंदूकधारी पहने हुए उनकी एक गुड़िया बनाई गई ।

गिरोह के एक पूर्व नेता, श्री राम सिंह को 1980 में अपने भाई लल्ला राम सिंह के साथ जेल से रिहा किया गया था; वे ठाकुर पुरुष थे (ठाकुर क्षत्रिय जाति की उपजाति है ) और इस प्रकार अन्य सदस्यों की तुलना में उच्च जाति के थे। डाकुओं में शामिल होने के बाद, एक सत्ता संघर्ष शुरू हुआ और श्री राम ने विक्रम मल्लाह की हत्या कर दी। बाद के संरक्षण के बिना, फूलन देवी श्री राम की कैदी थी; वह उसे बेहमई के सुदूर गाँव में ले गया जहाँ उसके साथ अन्य ठाकुरों ने बार-बार बलात्कार किया। अंतिम अपमान में, उसे गाँव वालों के सामने नग्न अवस्था में कुएँ से उसके लिए पानी भरने के लिए मजबूर किया गया।

**बेहमई नरसंहार-**

फूलन देवी भागने में सफल रही और उसकी मुलाकात एक डाकू मान सिंह से हुई, जिसके साथ उसने एक नया गिरोह बनाया। वे प्रेमी बन गए, जंगली जामुन और खेती के खेतों से चुराई गई उपज पर जीवन यापन करते थे। वह 14 फरवरी 1981 को अपने गिरोह के साथ बेहमई लौट आई; लाउडस्पीकर से बात करते हुए , उसने मांग की कि गांव वाले श्री राम सिंह और उसके भाई को सौंप दें, फिर डाकू घर-घर जाकर कीमती सामान लूटने लगे। जब दोनों आदमी नहीं मिले, तो यमुना नदी पर बाईस आदमियों को पंक्तिबद्ध किया गया और पीछे से गोली मार दी गई; बीस मर गए और दो बच गए। चूंकि उस समय सभी मृतकों को ठाकुर माना जाता था, ठाकुर किसानों ने प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी पर कानून का शासन लागू करने का दबाव डाला। इसकी पुष्टि उन दो पुरुषों के साक्ष्य से हुई जो बच गए थे, जिन्होंने कहा था कि उन्होंने उसे नहीं देखा था और राम अवतार नामक एक आदमी आदेश दे रहा था। अन्य विवरणों के अनुसार, जैसे कि पत्रकार खुशवंत सिंह के अनुसार , यह फूलन देवी थी जिसने पुरुषों को मौत के घाट उतार दिया। उच्च जाति के पुरुषों द्वारा उनके साथ किए गए दुर्व्यवहार के खिलाफ लड़ने के लिए उन्हें दलितों (जाति व्यवस्था के सबसे निचले स्तर के लोग) के बीच मनाया

जाता था और जब वह अधिकारियों द्वारा पकड़ से बच निकली तो उनकी प्रसिद्धि बढ़ गई। हत्याओं के कारण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीपी सिंह को इस्तीफा देना पड़ा । बाद में स्पष्ट किया गया कि मृत पुरुष सत्रह ठाकुर, एक मुस्लिम, एक दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग का एक सदस्य था। फूलन देवी पर *उनकी अनुपस्थिति में* 48 अपराधों का आरोप लगाया गया

**समर्पण-**

नरसंहार के बाद फूलन देवी फरार रही और 31 मार्च 1981 को पुलिस ने उसे लगभग पकड़ लिया था। फूलन देवी पर आत्मसमर्पण करने का दबाव बनाने के लिए उसकी मां को कालपी जेल में पांच महीने तक रखा गया था। 1983 में, फूलन देवी ने भिंड के एक पुलिस अधिकारी राजेंद्र चतुर्वेदी के नेतृत्व में लंबी बातचीत के बाद अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिन्होंने मलखान सिंह राजपूत को गिरफ्तार करने के बाद स्थानीय डकैतों का विश्वास हासिल किया था। पुलिस की वर्दी पहने और सिर पर लाल बंदना पहने हुए, उसने देवी दुर्गा और महात्मा गांधी की प्रतिमाओं के सामने सिर झुकाया , फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने लगभग 8000 लोगों की मौजूदगी में दंडवत किया। फूलन देवी ने आत्मसमर्पण के संबंध में शर्तें रखी थीं हथकड़ी का उपयोग नहीं किया गया; एक समूह के रूप में कैद किया गया; उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में कैद किया गया; उसके परिवार को उसकी बकरी और गाय के लिए जगह के साथ जमीन दी गई; और उसके भाई को सरकारी नौकरी मिली। उसने और मान सिंह सहित सात लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया। माला सेन ने दर्ज किया है कि भिंड में उसके आत्मसमर्पण को देखने के लिए एकत्र हुए पुरुष पत्रकार उसके सादे रूप से प्रभावित नहीं हुए।

फूलन देवी पर 48 आपराधिक आरोप लगाए गए और गिरोह को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कैद कर लिया गया। इस पूर्व समझौते के बावजूद कि वह आठ साल से अधिक जेल में नहीं बिताएगी, उसने दस साल से अधिक समय रिमांड पर बिताया। इस दौरान, उसे तपेदिक हो गया और पेट में दो ट्यूमर का निदान किया गया। अस्पताल में उपचार के दौरान, उसकी सहमति के बिना उसका गर्भाशय निकाल दिया गया। मान सिंह सहित अन्य लोग उत्तर प्रदेश में

मुकदमे के लिए सहमत हो गए और सभी बरी हो गए, लेकिन फूलन देवी ने कोई सौदा करने से इनकार कर दिया और आश्वस्त रही कि अगर वह वहां गई तो उसकी हत्या कर दी जाएगी।

**राजनीतिक कैरियर-**

1994 में समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के आदेश पर फूलन देवी के खिलाफ आरोप हटा दिए गए थे । जेल से रिहा होने के बाद, वह समाजवादी पार्टी में शामिल हो गईं और 1996 के आम चुनाव में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से संसद सदस्य (एम पी) के रूप में भारतीय निचली विधायी संस्था, लोकसभा में एक सीट ली। वह 37,000 के अंतर से जीती और कुल मिलाकर उनके पास 300000 से अधिक वोट थे। वह भगवती देवी और शोभावती देवी जैसी अन्य सांसदों में शामिल होने वाली एकमात्र निरक्षर सांसद नहीं थीं । फूलन देवी ने महिलाओं के अधिकारों और गरीबों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए सीमित सफलता के साथ अभियान चलाया। मल्लाह लोग इस बात से खुश थे कि उनकी जाति का कोई व्यक्ति पहली बार संसद में उनका प्रतिनिधित्व कर रहा था और वह आम तौर पर अन्य पिछड़ा वर्ग के बीच लोकप्रिय थीं।

कानपुर जिला न्यायालय ने यादव के फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें बेहमई नरसंहार के सिलसिले में उनके खिलाफ आरोप बहाल कर दिए गए थे। इस फैसले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा था। 1996 में फूलन देवी ने अपने खिलाफ आरोप हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील खो दी थी। अगले वर्ष, अदालत ने बेहमई नरसंहार से संबंधित आरोपों पर उन्हें अभियोग चलाने के लिए उत्तर प्रदेश के अनुरोध को मंजूरी दे दी और वह कानपुर में अदालत की सुनवाई में शामिल नहीं हुईं । कई महीनों की कानूनी दांव-पेंच के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि फूलन देवी को मुकदमे से पहले जेल जाने की जरूरत नहीं है। वह 1998 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार वीरेंद्र सिंह से अपनी सीट हार गईं , फिर अगले वर्ष इसे वापस हासिल कर लिया ।

फूलन देवी ने 1994 में उम्मेद सिंह से शादी की; वे एक फिल्म में साथ दिखे, जिसका नाम *शोले और चिंगारी* ( *धधकती आग और चिंगारी*) था। अपने नए पति के साथ, वह हिंदू जाति व्यवस्था से बचने के उद्देश्य से बौद्ध बन गईं । मोक्सहम के अनुसार, बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म त्याग दिया।

### *बैंडिट क्वीन* फिल्म-

1994 की फिल्म *बैंडिट क्वीन* शिथिल रूप से माला सेन की जीवनी पर आधारित थी; इसे शेखर कपूर ने निर्देशित किया था और सीमा बिस्वास ने फूलन देवी की भूमिका निभाई थी। कान फिल्म समारोह में प्रशंसा प्राप्त करने के बाद , कपूर ने भारत के सिनेमाघरों में फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से अनुमति मांगी । फूलन देवी ने रिलीज को रोकने का प्रयास किया, टिप्पणी करते हुए कि "यह केवल मेरे जीवन की कहानी नहीं है"। उन्हें नारीवादी और उपन्यासकार अरुंधति रॉय का समर्थन प्राप्त था , जिन्होंने फिल्म की एक आलोचना लिखी (शीर्षक "द ग्रेट इंडियन रेप ट्रिक"), यह तर्क देते हुए कि सेन की पुस्तक ने विभिन्न दृष्टिकोणों के साथ एक जटिल कहानी प्रस्तुत की, चैनल 4 के पूर्व कमीशनिंग एडिटर फारुख धोंडी ने अपनी 2021 की आत्मकथा में बताया कि कैसे वह फूलन देवी को अपनी शिकायत वापस लेने के लिए मनाने में उम्मेद सिंह की सहायता लेने के लिए दिल्ली पहुंचे। जब फूलन देवी को यह पता चला, तो दंपति अलग हो गए, बाद में सुलह हो गई। वकील इंदिरा सिंह और अरुंधति रॉय ने दिल्ली उच्च न्यायालय में फिल्म की स्क्रीनिंग के खिलाफ एक अदालती मामला दायर किया । अंततः फूलन देवी को चैनल 4 से £40000 मिले और उन्होंने शिकायत वापस ले ली। बाद में 1994 में उन्होंने अपनी आत्मकथा *आई, फूलन देवी लिखवाई जो पहली बार 1996 में फ्रेंच* में और फिर अंग्रेजी , जापानी और मलय सहित अन्य भाषाओं में प्रकाशित हुई।

### हत्या-

25 जुलाई 2001 को 13:30 बजे ( आईएसटी ) नई दिल्ली में 44 अशोक रोड स्थित उनके घर के बाहर तीन अज्ञात हमलावरों ने फूलन देवी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उन्हें नौ बार गोली मारी गई और उनके अंगरक्षक

को दो बार गोली लगी; हमलावरों के कार से भागने पर उसने जवाबी फायरिंग की। उन्हें लोहिया अस्पताल ले जाया गया और वहां पहुंचते ही उन्हें मृत घोषित कर दिया गया । उनकी मृत्यु के समय उनकी आयु 37 वर्ष थी और वे सांसद के रूप में कार्यरत थीं। संसद के दोनों सदनों का सारा कामकाज दो दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया और अंतिम संस्कार मिर्जापुर में हुआ । उम्मेद सिंह ने टिप्पणी की, "कोई भी इसे पसंद नहीं करता जब कोई, खासकर एक महिला, निम्न वर्ग से उठकर अपना नाम बनाती है" और उनकी वकील कामिनी जायसवाल ने कहा, "यह हत्या जाति संघर्ष का परिणाम है।" उनकी मृत्यु के समय उनके खिलाफ आपराधिक मामला अभी भी खुला था।

हत्या के कुछ दिनों बाद, शेर सिंह राणा ने देहरादून में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और दावा किया कि उसने बेहमई नरसंहार का बदला लेने के लिए फूलन देवी की हत्या की थी; उसने पहले तो पुलिस को यह समझाने के लिए संघर्ष किया कि वह अपराध स्थल पर मौजूद था। वह 2004 में तिहाड़ जेल से भाग गया और दो साल बाद फिर से पकड़ा गया। अगस्त 2014 में, राणा को हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा मिली, जिसमें दस सह-प्रतिवादियों को बरी कर दिया गया। दो साल बाद, उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में अपनी सजा की अपील की और न्यायमूर्ति गीता मित्तल ने उन्हें ₹50,000 (2023 में ₹72,000 या £750 के बराबर) के निजी बांड और समान राशि की दो जमानतों पर रिहा कर दिया। उनसे कहा गया कि वे फूलन देवी के परिवार से बातचीत न करें और हर छह महीने में पुलिस को रिपोर्ट करें, साथ ही उन्हें यह भी बताएं कि वे कहां रहते हैं और किस मोबाइल फोन नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं।

अगस्त 2001 में, उम्मेद सिंह ने फूलन देवी की तेरहवीं से पहले घोषणा की कि वह उनकी संपत्तियों के प्रशासन के लिए एक ट्रस्ट स्थापित कर रहा है; उसकी बहनों और माँ ने तुरंत उसकी निंदा की, जिन्होंने दावा किया कि वह ₹25 मिलियन (2023 में ₹100 मिलियन या £1 मिलियन के बराबर) के उनके निवेश को चुराने की कोशिश कर रहा था। मुन्नी देवी ने आरोप लगाया कि उम्मेद सिंह हत्यारों को जानता था और उसके बहाने को चुनौती दी। उसने कहा कि उम्मेद सिंह फूलन देवी के साथ दुर्व्यवहार करता था और उसकी

बहन ने उसे तलाक देने की कम से कम दो बार कोशिश की थी। फूलन देवी के पहले पति पुत्तीलाल ने भी उनकी संपत्तियों की मांग की क्योंकि उन्होंने कभी आधिकारिक रूप से तलाक नहीं लिया था।

**परंपरा-**

पूरे भारत में फूलन देवी की ख्याति उनकी मृत्यु के बाद भी बढ़ती रही और *बैंडिट क्वीन* फिल्म को लेकर हुए विवाद ने पहले ही सुनिश्चित कर दिया था कि वह विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हैं। वह नेड केली , सैंडोर रोज़ा और पंचो विला जैसे अन्य अपराधियों के साथ एक महान व्यक्ति बन गई हैं । उनके जीवन ने रॉय मोक्सहैम, माला सेन और रिचर्ड शियर और इसोबेल गिडले की जीवनियों के साथ-साथ इरेन फ्रेन और दिमित्री फ्रीडमैन के उपन्यासों को भी प्रेरित किया है। क्लेयर फौवेल द्वारा *फूलन देवी, रिबेल क्वीन* नामक एक ग्राफिक उपन्यास 2020 में प्रकाशित हुआ था। विद्वान तातियाना सुजर्लेज ने नोट किया कि इन जीवनियों में प्रस्तुत तथ्य अक्सर फूलन देवी के स्वयं के साक्षात्कारों से आने के बावजूद एक-दूसरे का खंडन करते हैं 1994 में, अरुंधति रॉय ने टिप्पणी की कि फूलन देवी "लीजेंडाइटिस के मामले से पीड़ित हैं। वह खुद का केवल एक संस्करण है। उसके अन्य संस्करण भी हैं जो ध्यान आकर्षित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।" मीडिया सिद्धांतकार सैंड्रा पोनजानेसी ने कहा कि फूलन देवी तीसरी दुनिया के उत्तर-औपनिवेशिक विषय का एक उदाहरण है जो नस्लवादी और संरक्षणवादी ओरिएंटलिस्ट दृष्टिकोण से अवगत है जो प्रथम विश्व विश्लेषकों के पास उसके बारे में है।

उनके जीवन पर कई फिल्में बन चुकी हैं। अशोक रॉय ने 1984 में बंगाली में *फूलन देवी* फिल्म बनाई और अगले साल *कहानी फूलवती की* ( *फूलन की कहानी*) नामक एक हिंदी संस्करण बनाया। *बैंडिट क्वीन* 1994 में आई और 2019 में होसैन मार्टिन फाजली *फूलन* नामक एक वृत्तचित्र विकसित कर रहे थे । 2022 में, फारुख धोंडी ने घोषणा की कि वह राजेंद्र चतुर्वेदी के दृष्टिकोण से उनके जीवन के बारे में एक वेब श्रृंखला बना रहे हैं, जिसने उनके आत्मसमर्पण की व्यवस्था की थी। फूलन देवी को रेखा रोडविटिया जैसे चित्रकारों द्वारा ललित कला में दर्शाया गया है । उनके जीवन

को लोक गायकों द्वारा भी याद किया जाता है, जिससे वह एक पौराणिक डाकू बन जाती हैं। शिरीष कोर्डे और लिन क्रेमर ने *फूलन देवी: द बैंडिट क्वीन* नामक एक ओपेरा लिखा , जिसका प्रीमियर 2010 में वॉर्सेस्टर, मैसाचुसेट्स , यूएस में कॉलेज ऑफ द होली क्रॉस में हुआ था।

बेहमई नरसंहार से संबंधित अदालती मामले में फैसला 2020 में देरी से आया क्योंकि मामले के महत्वपूर्ण दस्तावेज खो गए थे। अगले वर्ष अंतिम गवाह की मृत्यु हो गई और चूंकि पीठासीन न्यायाधीश का तबादला हो गया था, इसलिए मामला 2022 में फिर से शुरू हुआ। 2023 में, एक अन्य संदिग्ध की मृत्यु हो गई, जिससे केवल दो लोगों पर मुकदमा चला।

मल्लाह उपजाति निषाद जाति का हिस्सा है और दो निषाद राजनीतिक दलों ने फूलन देवी की विरासत पर दावा किया है। 2018 में, निषाद पार्टी ने बताया कि वह गोरखपुर में उनकी एक प्रतिमा बनाएगी । तीन साल बाद, उनकी हत्या के बीस साल पूरे होने के उपलक्ष्य में, विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) ने घोषणा की कि वह उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में उनकी 18 फीट (5.5 मीटर) ऊंची मूर्तियां लगाएगी और पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। वीआईपी के नेता मुकेश सहनी को उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी हवाई अड्डे से बाहर जाने से रोक दिया जब वह एक मूर्ति स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने फूलन देवी के नाम पर एक फाउंडेशन की स्थापना करके प्रतिक्रिया व्यक्त की और किसी भी स्थानीय व्यक्ति द्वारा अनुरोध करने पर फूलन देवी की 50000 छोटी मूर्तियां देने का वादा किया। इसके अलावा 2021 में, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के चिराग पासवान और राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव द्वारा उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई ।

**मायावती का केस-**

उत्तर प्रदेश सरकार में कई बार मुख्यमंत्री रह चुकी श्रीमती मायावती का जीवन भी आसान नहीं था। बहुत से अपमान

और दर्द झेलने पड़े है मायावती को। हालाँकि सत्ता इनको विरासत में श्री कांशीराम से मिली है आइए जानते है इनकी कहानी –

बात है सन 1995 की. मुलायम सिंह यादव की सपा और कांशीराम की बसपा गठबंधन सरकार यूपी की सत्ता में थी. लेकिन गठबंधन में सबकुछ सही नहीं चल रहा था. फिर आया 23 मई 1995 का दिन. मुलायम सिंह यादव तब बसपा के संस्थापक कांशीराम से बात करना चाहते थे. लेकिन कांशीराम ने मना कर दिया. इसी रात कांशीराम ने फोन कर दिया BJP नेता लालजी टंडन को. फोन पर बात हुई. बीजेपी-बसपा गठबंधन को लेकर.

ये वो समय था, जब कांशीराम की तबीयत खराब थी. वो अस्पताल में भर्ती थे. उनकी देखभाल कर रहे थे उनके दोस्त और राज्यसभा सांसद जयंत मल्होत्रा. साथ में मायावती भी थीं. तब कांशीराम ने मायावती को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या वो सूबे की सीएम बनेंगी और उन्हें सूबे का मुख्यमंत्री बनाने की योजना चल रही थी। बसपा की मीटिंग शुरू हो चुकी थी सत्ता को लेकर की कौन मुख्यमंत्री बनेगा और कैसे बनेगा सरकार किसके साथ बनेगी तभी एक अलग ही घटना घट जाती है और वह इतिहास में मायावती के लिए सबसे काला दिन था।

फिर आया 2 जून, 1995 का दिन. इस तारीख को यूपी के राजनीतिक इतिहास का काला दिन कहा जाता है. इस दिन मायावती लखनऊ में ही स्टेट गेस्ट हाउस में बसपा विधायकों के साथ मीटिंग कर रही थीं. उधर समर्थन वापसी की सूचना से आगबबूला हुए मुलायम सिंह यादव ने अपने समर्थकों को गेस्ट हाउस भेज दिया. इन समर्थकों को एक टास्क दिया गया. उस समय बसपा के एक बागी नेता राजबहादुर के नेतृत्व में पहले ही 12 विधायक टूटकर सपा के समर्थन में आ चुके थे. लेकिन दल-बदल कानून के चलते बसपा के 67 में से कम से कम एक तिहाई (उस समय के नियम के मुताबिक) विधायकों का टूटना जरूरी था.

बस मुलायम ने समर्थकों को टास्क दिया कि कुछ विधायकों को समझाकर या धमकाकर अपनी तरफ करना है. मुलायम समर्थक बाहुबलियों की ये फौज पहुंच गई गेस्ट हाउस. यहां करीब 4 बजे से हिंसा शुरू हुई और दो घंटे तक चली. इस हिंसा में सपा और बसपा, दोनों दलों के कई समर्थक घायल हो गए.

बसपा विधायकों ने आरोप लगाया कि गेस्ट हाउस के कॉन्फ्रेंस रूम से कुछ विधायकों का अपहरण करने की कोशिश भी की गई.

## मायावती के साथ बदसलूकी

बाहुबलियों की ये फौज जब गेस्ट हाउस पहुंची, तो वहां एक कमरे में मायावती अपने समर्थकों के साथ थीं. भीड़ के बारे में जानकारी मिलने पर कमरे का गेट अंदर से बंद कर लिया गया. तो सपा समर्थकों ने गेट पीटना शुरू कर दिया. मायावती को यहां जातिसूचक और लिंगसूचक गालियां दी गईं. इस कांड या झड़प में बताया जाता है मायावती के शरीर पर के कपडे भी सपा के लोगो के द्वारा फाड़ दिया गया जो की गलत और बहुत ही अभद्र है। उन्हें बाहर आने की धमकी भी दी गई. बताया जाता है कि उस समय वहां मौजूद यूपी पुलिस के जवानों को मुख्यमंत्री मुलायम सिंह का सीधा निर्देश था कि सपा समर्थकों पर सख्त कार्रवाई ना की जाए. उस समय के कुछ प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह वहां मौजूद थे, जो हमले को रोकने के बजाए सिगरेट पीते रहे मतलब यह है की यह घटना पूर्व नियोजित थी जो मायावती को मालूम नहीं था।

इसके बाद शाम के समय लखनऊ के जिलाधिकारी राजीव खेर गेस्ट हाउस पहुंचे. उन्होंने मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के मौखिक आदेशों को नहीं माना. डीएम ने पुलिस की मदद से बड़ी मुश्किल से वहां से भीड़ को हटाया. अब तक राज्यपाल तक भी पूरी सूचना पहुंच गई थी. ऐसे में एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची. तब जाकर लाठीचार्ज हुआ और सपा समर्थकों को खदेड़ा गया. फिर मायावती कमरे से बाहर आईं. ये सुनिश्चित होने के बाद कि सपा के कार्यकर्ता चले गए हैं. इधर, मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का आदेश न मानने वाले जिलाधिकारी राजीव खेर का उसी रात 11 बजे ट्रांसफर कर दिया गया

इस कांड के बाद मायावती और मुलायम के बीच एक राजनीतिक लकीर खींच गई. मायावती ने इसके बाद कई बार अपनी रैलियों में इस कांड का जिक्र किया. इसका जिक्र करते हुए हमेशा उनके चेहरे पर एक गुस्सा आ जाता था. मायावती ने अपनी आत्मकथा **'मेरा संघर्षमय जीवन एवं बहुजन समाज मूवमेंट का सफ़रनामा'** में लिखा,

**"मुलायम सिंह का आपराधिक चरित्र उस समय सामने आया, जब उन्होंने स्टेट गेस्ट हाउस में मुझे मरवाने की कोशिश करवाई. उन्होंने अपने बाहुबल का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ़ हमारे विधायकों का अपहरण करने की कोशिश की, बल्कि मुझे मारने का भी प्रयास किया."**

## गेस्ट हाउस कांड की जांच

इस कांड की जांच के लिए रमेश चंद्र कमेटी बनाई गई. इसने अपनी 89 पेज की रिपोर्ट में गेस्ट हाउस कांड के आपराधिक षड्यंत्र के लिए मुलायम सिंह यादव को सीधे ज़िम्मेदार ठहराया. रिपोर्ट में कहा गया कि योजना पहले ही बना ली गई थी और इसके लिए कुछ अधिकारियों को पहले ही लखनऊ ट्रांसफर कर दिया गया था.

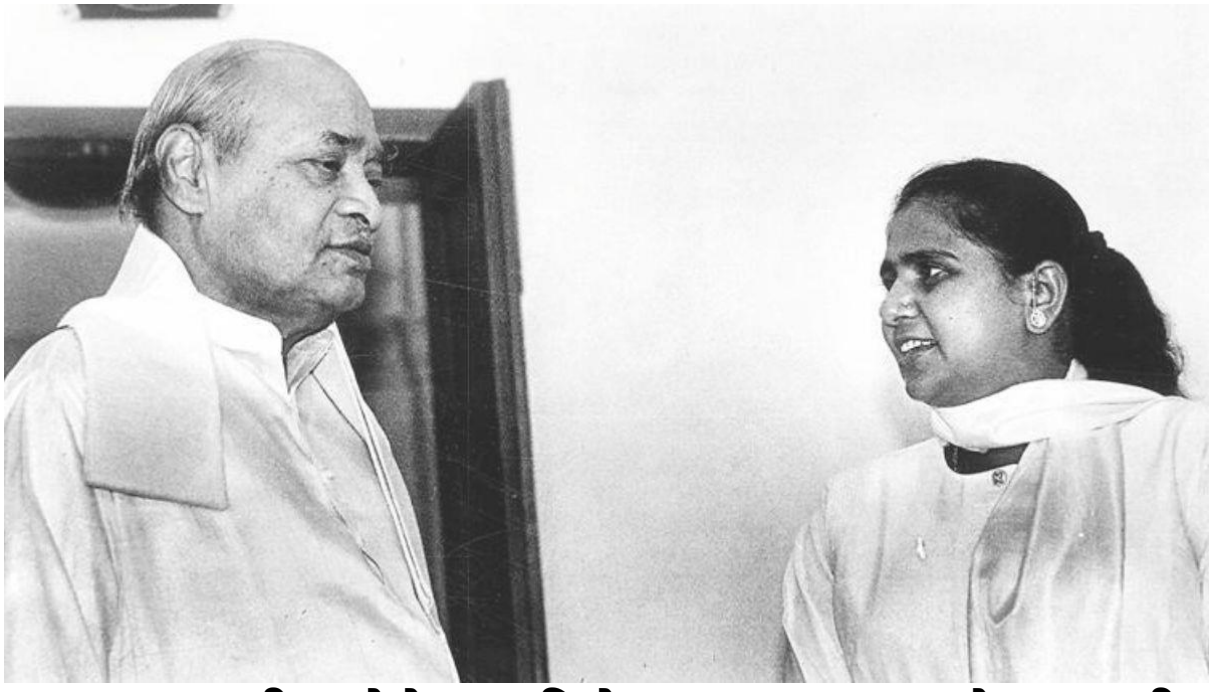

**मुख्यमंत्री बनने के कुछ दिनों बाद 6 जून, 1995 को प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के साथ मायावती**

इस घटना के ठीक 24 साल बाद 19 अप्रैल 2019 को पहली बार मुलायम सिंह यादव और मायावती एक ही मंच पर साथ नजर आए. 2019 के लोकसभा चुनावों में सपा-बसपा ने गठबंधन किया तो मैनपुरी में एक रैली में दोनों नेता साथ आए. वहीं 2019 के चुनावों में गठबंधन से ठीक पहले मायावती ने

मुलायम सिंह यादव के ऊपर लगे गेस्ट हाउस कांड वाले केस वापस ले लिए. उन्होंने इसे लेकर तब ट्वीट कर बताया था,

**“2 जून 1995 का लखनऊ गेस्ट हाऊस केस बसपा और सपा गठबंधन के बाद और लोकसभा आम चुनाव के दौरान ही सपा के आग्रह पर 26 फरवरी 2019 को माननीय सुप्रीम कोर्ट से वापस लिया गया था.”**

उपरोक्त तथ्यों के अवलोकन से यह पता चलता है की इंसान कैसा है अपराध करने के लिए कौन सी परिस्थितियां उत्तरदायी है। दरिंदगी शब्द केवल रेप तक ही नहीं सीमित है मेरा मानना है की किसी भी व्यक्ति के साथ जरा सा भी धृष्ट्ता या उसके विरुद्ध किया गया कोई भी कार्य दरिंदगी की श्रेणी में आता है। भगवान और कानून दोनों ही इंसान को स्वतंत्रता देता है लेकिन यह स्वतंत्रता वही तह सीमित है जहाँ तक की दूसरे की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप या बाधा न हो। देश और समाज दोनों प्रगतिशील है और आज के समय में काफी प्रगति कर चुके है परन्तु इंसान की सोच में शायद ही परिवर्तन हुए हो।

इन सब घटनाओ के विश्लेषण के बाद भी यह निश्चित नहीं हो पता है की इन घटनाओ का जिम्मेदार कौन है? कुछ मायनो में इसके लिए इंसान की परिस्थितियां जिम्मेवार है कुछ मायनो में सामाजिक परिस्थितियां और कुछ मायनो में उसकी अहम या घमंड। आज के युग में नशा भी इसके लिए जिम्मेवार है लोग नशे में होकर कुछ भी करने को तैयार हो जाते है और ऐसी ऐसी घटनाओ को अंजाम दे देते है कि आम आदमी की सोच से परे होता है। भारत जैसे देश के लिए जातिवाद भी एक बहुत बड़ी समस्या है कई बार तो जातिवाद या समुदायवाद से ऐसी ऐसी हिंसाए भड़क जाती है कि न जाने कितने घर विनष्ट हो जाते है गांव के गांव नष्ट हो जाते है। मनुष्य के मन को बदलना होगा सही रास्ते का चुनाव करना होगा वरना हमें ऐसे ही  अग्नि की ज्वाला में जलता रहना होगा। इंसानी सोच को परिवर्तित करना होगा। प्राचीन भारत के गौरव  को वापस लाना होगा

तुलसीदास ने राम चरित मानस में लिखा है -

*नहि दरिद्र कोउ दुःखी न दीना , नहि कोउ अबुध न लक्षन हीना।*

हमें शास्त्र का पालन करना पड़ेगा , शास्त्र की शिक्षा हर व्यक्ति को देनी पड़ेगी ताकि किसी को भी शस्त्र उठाने की जरूरत न पड़े। समाज में प्रचलित गलत विचार और प्रथा और बंधनो को तोड़ना पड़ेंगा और समाज को जोड़ना पड़ेगा तब जाकर हम एक अच्छे समाज को पा सकते है जहाँ पर हर व्यक्ति स्वतन्त्र और आज़ाद होगा और सुरक्षित होगा।

*आप सबने इस पुस्तक को इतने प्यार और लगन के साथ पढ़ा इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार।*